कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या– IX–06/2013–14 (पार्ट) अनु०को० 3518 /कृ0, पटना, दिनांक 15/07/2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

निबंधित
ई–मेल

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)।

विषय :– **जिला कृषि कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि 01 (एक) माह के अन्दर आप अपने अधिनस्थ जिला कृषि कार्यालयों का विधिवत निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ निरीक्षण टिप्पणी अंकित करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(2) संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित चेक स्लिप के अनुसार आपके द्वारा गहन निरीक्षण किया जायेगा तथा इसी चेक स्लिप के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी निरीक्षण टिप्पणी हेतु सामग्री तैयार करेंगे। निरीक्षी पदाधिकारी अन्य बिन्दुओं पर भी निरीक्षण कर सकते है।

(3) प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के निरीक्षण की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अनिवार्य रूप से भेज देगें तथा प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) निरीक्षण के एक सप्ताह बाद संबंधित कार्यालयों को टिप्पणी अनुपालन हेतु भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी अवलोकनार्थ भेजेंगे।

(4) जिला कृषि पदाधिकारी निरीक्षण के उपरांत पाये गये अनियमितता से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को देंगे तथा उसके 15 दिन बाद प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपनी टिप्पणी/मंतव्य के साथ प्रतिवेदन जिला कृषि कार्यालय को वापस करेंगे तथा इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

(5) निरीक्षण के क्रम में पायी गयी यथास्थिति के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में प्रविष्टियॉ तदनुसार दर्ज की जाएगी तथा गबन एवं दुर्विनियोग के मामलों में राशि की वसूली हेतु तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कार्य में लापरवाही एवं ढिलाई के मामले में समुचित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी स्वंय जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

ह०/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि– (1) सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3518 /कृ0, पटना, दिनांक 15.07.2019.

प्रतिलिपि– उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल भेजने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट
जिला कृषि कार्यालयों के निरीक्षण हेतु चेक स्लिप

1. सामान्य सूचनाएं :–

(i) कार्यालय का नाम एवं इतिहास तथा इसकी विस्तृत विवरणी

(ii) पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं पूर्व पदस्थापन की विवरणी

(iii) पूर्व निरीक्षणों की विवरणी (गार्ड फाईल में संधारित)

(iv) जिलें की विशेष फसलें एवं इसका रकवा, उत्पादन, उत्पादकता, विपणन की संभावनाएँ एवं अन्य सूचनाएँ

(v) **जिले की कृषि डायरेक्टरी**

- मौसम के अनुसार फसलों की स्थिति
- खरीफ फसल–धान, खरीफ मक्का (भदई+अगहनी), दलहन (अरहर, उरद, मूँग, मसूर, चना मटर एवं अन्य), खरीफ तेलहन (कुसुम बीज, सोयाबीन, मुंगफली, तील इत्यादि)
- रबी फसल– गेहूँ, मकई, जौ, तेलहन (राई, सरसो, तीसी, सूर्यमुखी)
- गरमा फसल– गरमा धान, गरमा मकई, गरमा मूंग, तेलहन (सूर्यमुखी, तील)
- शीतकालीन फसल–शीतकालीन धान, बोरो राइस
- उद्यानिक फसलें–आम, लीची, अमरूद्ध, केला, शरीफा, बेर, आंवला, मखाना, पान, मशरूम एवं फूल की प्रजातियाँ एवं अन्य

(vi) **कार्यालय भवनों की स्थिति**

- कार्यालय भवनों की परिसम्पति की विवरणी
- कृषि प्रक्षेत्रों में यंत्रों के रखरखाव हेतु शेड की सुविधा
- फसल सुखाने हेतु पक्का थ्रेसिंग फ्लोर की स्थिति
- अन्न भंडारण हेतु गोदाम निर्माण की भौतिक स्थिति
- प्रक्षेत्र का विधुतीकरण
- प्रक्षेत्रों में फसलों के पटवन हेतु अनडरग्राउन्ड सिंचाई की व्यवस्था
- बोरिंग, जनरेटर एवं कृषि यंत्रों की स्थिति
- प्रक्षेत्र सहायक/चौकीदार के आवासनों की सुविधा है या नहीं
- अन्यान्य

(vii) **ई–किसान भवन**

- पानी, बिजली, कम्प्यूटर, फर्नीचर, घेराबंदी एवं मुख्य सड़क मार्ग से ई–किसान भवन तक ईट/सीमेंट युक्त पक्का पहूँच पथ की व्यवस्था

- चौकीदार, झाडुकश एवं साफ–सफाई की व्यवस्था
- ई–किसान भवन में अतिक्रमण हुआ है?
- ई–किसान भवन में विभागीय बैठक होती है?

(viii) **पंचायत कृषि कार्यालय**

- फर्नीचर, बिजली, पानी पीने की व्यवस्था, साईन बोर्ड, आलमीरा, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता

2. वित्तीय प्रबंधन :–

(i) सामान्य रोकड़बही की अद्यतन स्थिति
(ii) सहायक रोकड़ पंजी का अद्यतन स्थिति
(iii) असमायोजित अग्रिम की सूची
(iv) असमायोजित अभिश्रव की सूची
(v) अपारित अभिश्रव की सूची (यदि हो)
(vi) अंकेक्षण आपतियाँ एवं इसकी गहन जाँच
(vii) बैंक खातो की संख्या एवं जमा राशि
(viii) अद्यतन बैंक पासबुक (पासबुक एवं रोकड़ पंजी में एकरूपता होनी चाहिए)
(ix) ए०सी० / डी०सी० से संबंधित मामलें
(x) लोक लेखा समिति से संबंधित मामले
(xi) गबन एवं दुर्विनियोग तथा वसूली के मामले

3. योजना संबंधी विवरण :–

(i) योजनावार अद्यतन स्थिति
(ii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC)
(iii) वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड होना चाहिए)
(iv) महत्वपूर्ण योजनाओं का पिछले पाँच वर्षो के उपलब्धियों की विवरणी
(v) उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति

4. स्थापना संबंधी मामलें :–

(i) जिले में कृषि विभाग के सभी कार्यालयों की विवरणी
(ii) सरकारी सेवको के पदस्थापन एवं रिक्तियों की विवरणी
(iii) पंजियो के संधारण की स्थिति
(iv) माननीय न्यायालय एवं अन्य मामलों में कार्यरत एवं सेवा निवृत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान एवं अन्य अदायगियाँ
(v) पूर्व से भुगतान हेतु लंबित मामलें

(vi) जनशिकायत एवं माननीय मुख्यमंत्री के E-Compliance Dashboard से संबंधित लंबित मामलों का अनुपालन

(vii) माननीय न्यायालय के मामलों के अनुपालन की स्थिति

(viii) सेवा निवृत्ति / विभागीय कार्यवाही की विवरणी

(ix) सूचना का अधिकार से संबंधित लंबित मामले

(x) राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण मामले

(xi) अन्यान्य

5. अन्यान्य :–

(i) विधानमंडलीय / संसदीय मामले

(ii) मानवाधिकार से संबंधित मामले

(iii) लोकायुक्त से संबंधित मामले

(iv) उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी अन्तर्गत लंबित अनुज्ञप्तियों की संख्या एवं लंबित आवेदनों की संख्या

(v) उर्वरक, बीज, कीटनाशी अन्तर्गत Fertilizer Control Order/Essential Commodity Act के तहत कार्रवाई

(vi) किसानों से वार्ता

- किसानों को योजनाओं से संबंधित अनुदान का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों की जानकारी है या नहीं?
- किसानों को खेती से संबंधित आ रही कठिनाईयों का निराकरण ससमय किया जा रहा है कि नहीं?
- ऑनलाईन रजीस्टेशन करने में किसान सलाहकारों एवं अन्य से सहयोग मिल रहा है या नहीं ?
- सरकार द्वारा दिये जाने वाले उपादानों की जानकारी किसानों को है या नहीं?
- फसल क्षति होने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान से संबंधित जानकारी किसानों को है या नहीं
- अन्यान्य

(vii) पंचायत कृषि कार्यालय / कृषि समन्वयक के कार्यालयों का निरीक्षण के सम्बन्ध में सूचनाएँ

6. निरीक्षी पदाधिकारी का मंतव्य :–

3